



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

अवैध शस्त्र फैक्ट्री बरामद एवम् दो अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा जनपद सीतापुर में अपराध नियंत्रण एवम् अपराध को ही अपनी आय का स्रोत मान कर आपराधिक कृत्य करने वाले अपराधियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।

दिये गये निर्देश के क्रम में दिनांक 08.09.2020 को थाना रेउसा की पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान दबिश देकर अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए दो अभियुक्तगण 1. बंगाली उर्फ कुञ्ज बिहारी पुत्र गंगू निवासी ग्राम सरैया छतौना थाना थानगाँव, सीतापुर 2. रामसागर पुत्र सोनासर निवासी ग्राम मेवडी सेल्हवा थाना थानगाँव, सीतापुर को ग्राम रसूलपुर स्थित बाग से गिरफ्तार किया है। जिनके कब्जे से मौके से 5 तमन्चा 312 बोर, 2 तमन्चा 315 बोर, शस्त्र बनाने के उपकरण व सामग्री बरामद हुआ है। बरामद शस्त्र फैक्ट्री के संबंध में थाना रेउसा पर मु0अ0सं0 264/20 धारा 5/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया जा रहा है। अभियुक्तगण शातिर किस्म के अभयस्त अपराधी है। अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही ऐसे ही चलती रहेगी।

● पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 264/20 धारा 5/25 शस्त्र अधिनियम थाना रेउसा, सीतापुर।

● अभियुक्त का नाम व पता -

1. बंगाली उर्फ कुञ्ज बिहारी पुत्र गंगू निवासी ग्राम सरैया छतौना थाना थानगाँव सीतापुर
2. रामसागर पुत्र सोनासर निवासी ग्राम मेवडी सेल्हवा थाना थानगाँव सीतापुर

● बरामदगी विवरण-

5 अदद तमन्चा 312 बोर, 2 अदद तमन्चा 315 बोर, शस्त्र बनाने के उपकरण व सामग्री

● गिरफ्तारी करने वाली थाना रेउसा पुलिस टीम-

1. उप निरीक्षक श्री एखलाक हैदर खां
2. उप निरीक्षक श्री हरिशंकर पाठक
3. उप निरीक्षक श्री राज बहादुर
4. हे0का0 अशोक कुमार यादव
5. हे0का0 कृपाशंकर सिंह
6. हे0का0 अशोक कुमार तिवारी

● आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त बंगाली उर्फ कुञ्ज बिहारी पुत्र गंगू नि० ग्राम सरैया छतौना थाना थानगाँव, सीतापुर-

1. मु०अ०सं० 153/06 धारा 5/25 शस्त्र अधिनियम थाना थानगाँव,सीतापुर।
2. मु०अ०सं० 264/20 धारा 5/25 शस्त्र अधिनियम थाना रेउसा,सीतापुर।

अभियुक्त रामसागर पुत्र सोनासर निवासी ग्राम मेवडी सेल्हवा थाना थानगाँव, सीतापुर-

1. मु०अ०सं० 153/06 धारा 5/25 शस्त्र अधिनियम थाना थानगाँव,सीतापुर।
2. मु०अ०सं० 264/20 धारा 5/25 शस्त्र अधिनियम थाना रेउसा,सीतापुर।

